बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0 सं0–02/CMT-03/2011 परि0

आदेश

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 111(2)(क) के संगत प्रावधानों के आलोक में अन्य राज्यों के अनुरुप स्लीपर बसों के विनिर्माण, परिचालन एवं करारोपण इत्यादि हेतु "बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992" में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन Automative Industry Standard-052 एवं Automative Industry Standard-119 के मानक के अनुसार किया जाना है।

इसी परिपेक्ष्य में स्लीपर वाहन के सीटो की ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई एवं अन्य यात्री सुविधाओं के अध्ययन करने हेतु **राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्नलिखित होगें।

1. श्री चौधरी अनंत नारायण, – सदस्य
   प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार पटना।

2. श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, – सदस्य
   अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।

3. श्री विनय शंकर तिवारी, – सदस्य
   मोटरयान निरीक्षक, सम्प्रति मुख्यालय।

2 उपरोक्त गठित समिति स्लीपर बसों से संबंधी पूर्ण प्रतिवेदन दिनांक -31.03.2017 तक समर्पित करेगी।

ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/CMT-03/2011 परि0 1015 पटना, दिनांक– 2/3/17

प्रतिलिपि – प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/ श्री चौधरी अनंत नारायण, प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार पटना/श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ श्री विनय शंकर तिवारी, मोटरयान निरीक्षक, सम्प्रति मुख्यालय/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Email

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।